समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक........../2016 R-3847-I-16

आवेदक- सीताराम आत्मज रामविशाल लहरिया
निवासी-वल्लभदास अग्रवाल वार्ड कटनी जिला कटनी म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक- म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक मान्नीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय **श्रीमान कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ-6-अ/2012-13, में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014** से व्यथीत होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक वल्लभदास अग्रवाल वार्ड कटनी जिला कटनी म0प्र0 का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदक **ग्राम धनगवां प0ह0नं0 19/81 रा0नि0मं0 पोंड़ा तहसील मझौली जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 795/1 रकवा 0.63 हे0** भूमि का भूमिस्वामी मालिक काबिज स्वामी है।
3. यह कि, उक्त भूमि श्री रज्जू आत्मज फुल्लू को वर्ष 1980 के पूर्व शासन से पट्टे पर प्रदान की गई थी जिन्हे 10 वर्ष पश्चात् म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 158(3) के अनुसार भूमिस्वामी अधिकार प्रदान हो चुके जिनका नाम बतौर भूमिस्वामी खसरा अभिलेख में दर्ज किया गया तथा भूमिस्वामी अधिकार की ऋण पुस्तिका प्रदान की गई थी।
4. यह कि, श्री धीरज आत्मज फुल्लू द्वारा खसरा नंबर 759/1 रकवा 0.63 हे0 भूमि का विक्रय शैलेष कुमार आत्मज श्री वीरेन्द्रनाथ गुप्ता को विक्रय कर दी गई जिनका नामांतरण कर नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया तथा भूमिस्वामी अधिकार की ऋण पुस्तिका प्रदान की गई थी। **खसरा अभिलेख की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक-पी-1 है।**
5. यह कि, श्री शेलेष कुमार आत्मज श्री वीरेन्द्रनाथ गुप्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.12.2002 के द्वारा उक्त भूमि आवेदक को विक्रय कर दी गई जिनका नामांतरण कर नाम खसरा अभिलेख में बतौर भूमिस्वामी दर्ज किया गया तथा भूमिस्वामी अधिकार की ऋण पुस्तिका प्रदान की गई थी किन्तु खसरा अभिलेख के कालम नंबर 12 पर अहस्तांतरणीय शब्द अंकित कर दिया गया। **विक्रय पत्र एवं खसरा अभिलेख की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी-2 है।**
6. यह कि आवेदक के द्वारा खसरा नंबर 759/1 रकवा 0.63 हे0 भूमि के कालम नंबर 12 में दर्ज ''अहस्तांतरणीय'' पृविष्टि को विलोपित करने हेतु आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण ... किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने ... 26.03.2014 के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–3847–एक / 16 **जिला** – कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.01.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह निगरानी त्रुटिवश इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः उसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। अतः आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। निगरानी आवेदन आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	